सं0सं0–10/विविध–16–08/2011– 19 (10) 01

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन,
(संलग्न सूची के अनुसार) ।

पटना, दिनांक : 10–10–2012

विषयः– मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–0004–अंधेपन की रोकथाम विपत्र कोड– N2210010010004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतनादि तथा अन्य प्राथमिक ईकाईयो में कुल ₹ 1,22,23,750/–(एक करोड़ बाईस लाख तेईस हजार सात सौ पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–01(10)व दिनांक–25.5.12 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतनादि तथा अन्य प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹ 1,22,23,750/–(एक करोड़ बाईस लाख तेईस हजार सात सौ पच्चास रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है। (विवरणी संलग्न)

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–001–निदेशन और प्रशासन–0004–अंधेपन की रोकथाम विपत्र कोड– N2210010010004 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. सिविल सर्जन अपने स्तर से अधीनस्थ संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को उप आवंटन एक मुश्त में करेंगे । उप आवंटन की एक प्रति विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

5. राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी संबंधित सभी अस्पताल के लिए होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय उप निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।

2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशाक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/ कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे । अस्थायी पदों का वेतन की निकासी इस आवंटन से नहीं की जा सकेगी।

9. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक 96(9) दिनांक 18.02.99, 142(9) दिनांक 15.03.2001, 241(9) दिनांक 21.05.2002, 379) दिनांक 16.08.2002 एवं 73(9) दिनांक 28.01.2006 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायेगा ।

10. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रकिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

11. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

12. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक : 19(10)09 पटना, दिनांक : 10-10-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रयाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7,10 / कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी -I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित अंधेपन की रोकथाम उपशीर्ष का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आयटन ।

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	कुल योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	450000	301500	67500	1000	6750	500	828250	0	6000	0	834250	6476/1.8.12
2	रोहतास	1000000	670000	150000	0	15000	500	1835500	0	20000	20000	1875500	78/6.8.12
3	गया	200000	134000	30000	0	3000	500	367500	0	0	0	367500	2614/23.8.12
4	वैशाली	800000	536000	120000	0	12000	500	1468500	0	0	0	1468500	1515/28.8.12
5	पूर्वी चम्पारण	800000	536000	120000	0	12000	500	1468500	0	15000	15000	1498500	317/1.8.12
6	सारण	1400000	938000	210000	0	21000	500	2569500	50000	6000	6000	2631500	349/31.7.12
7	मुंगेर	200000	134000	30000	0	3000	500	367500	0	0	0	367500	243/6.8.12
8	जमुई	400000	268000	60000	0	6000	500	734500	0	0	0	734500	183/11.9.12
9	मधुबनी	1000000	670000	150000	0	15000	500	1835500	0	20000	20000	1875500	350/23.7.12
10	औरंगाबाद	300000	201000	45000	0	4500	0	550500	0	10000	10000	570500	2019/12.7.12
	कुल	6550000	4388500	982500	2000	98250	4500	12025750	50000	77000	71000	12223750	

(एक करोड बाईस लाख तेईस हजार सात सौ पच्चास) रू0 मात्र

19(10)क
10-10-12

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	37843000	30200000	6550000	36750000	1093000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	25354000	20234000	4388500	24622500	731500
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	6219000	4620000	982500	5602500	616500
4	परिवहन भत्ता (01–05)	10000	8000	2000	10000	0
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	569000	453000	98250	551250	17750
6	अन्य भत्ता (01–07)	5000	0	4500	4500	500
	योग वेतन एवं भत्तेः–	**70000000**	**55515000**	**12025750**	**67540750**	**2459250**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	300000	0	50000	50000	250000
8	यात्रा व्यय (11–01)	300000	152000	77000	229000	71000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	300000	152000	71000	223000	77000
10	विधि प्रभार (13–05)	100000	45600	0	45600	54400
11	छात्रवृत्ति / वजीफा (34–01)	676000	376000	0	376000	300000
	कुल योगः–	**71676000**	**56240600**	**12223750**	**68464350**	**3211650**

(एक करोड़ बाईस लाख तेईस हजार सात सौ पच्चास) रू0 मात्र

10/10/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

19(10) वि
10-10-12